

क्रमांक :- प.4(102)वित्त-1(1)आय.व्य/2020

जयपुर, दिनांक : 07-12-2021

स्वीकृति संख्या 463/2021-22

कोषाधिकारी  
उदयपुर (राज.)

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में कुल राशि रूपये 562.15 लाख (अक्षरे रूपये पांच करोड़ बासठ लाख पन्द्रह हजार) मात्र के हस्तान्तरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर के द्वारा जारी निम्नांकित स्वीकृतियों में अंकित कार्यों एवं शर्तों के अनुसार, आयुक्त टी.ए.डी, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में कुल राशि रूपये 562.15 लाख (अक्षरे रूपये पांच करोड़ बासठ लाख पन्द्रह हजार) मात्र निम्नानुसार अंकित बजट मदों के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दी जावें।

मांग संख्या - 30

(राशि रूपये लाख में)

क्रम संख्या	बजट मद	स्वीकृति संख्या/दिनांक	राशि (केन्द्रीय सहायता)
1.	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण 02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण 796 - जनजाति क्षेत्र उपयोगना (18) - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत संचालित योजनाएं [11] - धारा 275(1) अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र में स्काउट एवं गाईड कार्यक्रम 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	क्रमांक-एफ.6/सीटीएडी/लेखा/275(1)/प्रस्ताव/2021-22/जयपुर दिनांक 02.12.2021  18/2021-22	12.15
	[06] - प्रशासनिक व्यय, प्रशिक्षण, मॉनिटरिंग तथा एम.आई.एस. 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	19/2021-22	50.00
	(23) - प्रधानमंत्री कुसुम योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति किसानों हेतु सहायता [01] - संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत संचालित योजनाएं 12 - सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)	20/2021-22	500.00
	<b>योग</b>		<b>562.15</b>

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी. नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

भवदीय,

Sd

(श्रीकृष्ण शर्मा)


उप शासन सचिव, वित्त (बजट)



9

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/लेखा परीक्षा-प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
- ✓ 2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर
3. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

  
उप शासन सचिव, वित्त (बजट)